2026 का विधेयक संख्यांक 144

भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

संस्थान

3. संस्थान का निगमन ।
4. संस्थान के निगमन का प्रभाव ।
5. संस्थान के उद्‌देश्य ।
6. संस्थान की शक्तियां और कृत्य ।
7. संस्थान का सभी के लिए खुला होना ।
8. संस्थान का लाभ न कमाने वाली एक सुभिन्न विधिक सत्ता होना ।
9. संस्थान में नियुक्तियां ।
10. संस्थान के प्रभाग ।
11. संस्थान के केंद्र ।

अध्याय 3

संस्थान की संरचना

12. संस्थान के प्राधिकारी ।
13. कुलाध्यक्ष ।
14. शासक बोर्ड ।
15. बोर्ड की बैठकें ।
16. बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनके बीच की रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।
17. बोर्ड का शक्तियाँ और कार्य।
18. शैक्षणिक परिषद्।
19. शैक्षणिक परिषद् की शक्तियाँ और कार्य।
20. प्रबंधन परिषद्।
21. वित्त समिति ।
22. निदेशक।
23. केंद्र-निदेशक।
24. संकायाध्यक्ष।
25. कुलसचिव और उप-कुलसचिव ।

खंड

26. समितियाँ।

अध्याय 4

वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा

27. केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान।
28. संस्थान की राजस्व अर्जित करने की शक्ति।
29. निधि।
30. लेखा और लेखा परीक्षण।
31. बही।
32. लेखापरीक्षकों की नियुक्ति।
33. बोर्ड द्वारा लेखा-विवरण पर विचार करना ।
34. वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट ।

अध्याय 5

निष्पादन रिपोर्ट

35. वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट ।
36. निष्पादन पुनर्विलोकन ।

अध्याय 6

विनियम और स्थायी आदेश

37. विनियम बनाने की शक्ति ।
38. स्थायी आदेश ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

39. रिक्तियों, आदि से कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।
40. केन्द्रीय सरकार को विवरणियां और सूचना दिया जाना।
41. संस्थान का सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना।
42. नियम बनाने की शक्ति ।
43. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।
44. संसद् के समक्ष नियमों और पहले विनियमों को रखा जाना।
45. केंद्रीय सरकार के पास निर्देश देने की शक्ति।
46. संक्रमणकालीन उपबंध ।
47. निरसन और व्यावृत्ति ।

अनुसूची

2026 का विधेयक संख्यांक 144

[दि इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026

सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक मान्यताप्राप्त केंद्र के रूप में अग्रगण्य होने के लिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए व्यापक कानूनी कार्यढांचे का उपबंध करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारतीय सांख्यिकी संस्थान को भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था और यह वर्तमान में पश्चिमी बंगाल सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है ।

और, संस्थान के कृत्यों को बृहत्त करना और इसके विधिक कार्यढ़ांचे को भारत की बढ़ती हुई तथा आंकडा आधारित अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशील आवश्यकताओं के अनुरूप करना समीचीन है ।

और, अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता करने और सरकार, उद्योग तथा समाज के लिए गहन विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करने के प्रयोजन से उच्च-गुणवत्ता वाले सांख्यिकीविदों और डेटा वैज्ञानिकों का एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना आवश्यक है ।

और, भारतीय सांख्यिकी संस्थान को, इसके सुशासन को सुदृढ़ करने, शैक्षणिक उत्कृष्टता और शोध का संवर्धन करने, तथा इसे विकसित भारत की ओर सांख्यिकी और सहबद्ध क्षेत्रों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ करने के लिए, एक निगमित निकाय के रूप में सम्मिलित करने का उपबंध करना आवश्यक है ।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "शैक्षणिक परिषद्" से संस्थान की शैक्षणिक परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) "पूर्वछात्र" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे संस्थान द्वारा डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं ;

(ग) "बोर्ड" से धारा 14 के अधीन गठित संस्थान का शासक बोर्ड अभिप्रेत है ;

(घ) "केंद्र" से, संस्थान द्वारा शैक्षणिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण या बाह्य क्रियाकलापों के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, स्थापित कोई परिसर या कोई केंद्र अभिप्रेत है ;

(ङ) "केंद्र-निदेशक" से धारा 23 के अधीन नियुक्त किसी केंद्र का केंद्र-निदेशक अभिप्रेत है ;

(च) "अध्यक्ष" से धारा 14 के अधीन गठित शासक बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(छ) "संकायाध्यक्ष" से धारा 24 के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, संस्थान या केंद्रों के संकायाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ज) "निदेशक" से धारा 22 के अधीन नियुक्त संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(झ) "कर्मचारी" में संस्थान द्वारा शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी या सहायक क्षमताओं में नियोजित सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं ;

(ञ) "विद्यमान संस्थान" से पश्चिमी बंगाल सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान अभिप्रेत हैं ;

1961 का पश्चिमी बंगाल अधिनियम सं0 26

1959 का 57

(ट) "संकाय" से शिक्षण या अनुसंधान या दोनों में लगा संस्थान का शैक्षणिक कर्मचारिवृंद अभिप्रेत है और इसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और ऐसे अन्य शैक्षणिक पदनाम, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सम्मिलित हैं ;

(ठ) "निधि" से धारा 29 में निर्दिष्ट संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(ड) "संस्थान" से धारा 3 के अधीन निगमित भारतीय सांख्यिकी संस्थान अभिप्रेत है ;

(ढ) "प्रबंधन परिषद्" से धारा 20 के अधीन केंद्रों पर स्थापित प्रबंधन परिषद् अभिप्रेत है ;

(ण) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी केंद्र के प्रबंधन समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है ;

(त) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(थ) "रजिस्ट्रार" से धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त संस्थान का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(द) "विनियमों" से धारा 37 के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ध) "स्थायी आदेशों" से धारा 38 के अधीन शैक्षणिक परिषद् द्वारा बनाए गए स्थायी आदेश अभिप्रेत हैं ;

(न) "सांख्यिकी विज्ञान" में सैद्धांतिक और व्यावहारिक सांख्यिकी, अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र, डाटा विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान और अन्य परिमाणात्मक विज्ञान, जिसमें जीवविज्ञान, भौतिक विज्ञान और भू-विज्ञान सम्मिलित हैं, के क्षेत्र; और ऐसे अन्य सम्बद्ध क्षेत्र, जिसमें परिमाणात्मक सामाजिक विज्ञान, और आधुनिक तकनीकी, जैसे कूटलिपि शास्त्र और अन्य संबंधित विषय सम्मिलित हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सम्मिलित हैं ;

(प) "कुलाध्यक्ष" से संस्थान का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

संस्थान

संस्थान का निगमन ।

3. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, विद्यमान संस्थान उसी नाम का एक निगमित निकाय होगा ।

(2) संस्थान का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे, अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों, संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

संस्थान के निगमन का प्रभाव ।

4. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,—

(क) किसी संविदा या अन्य लिखत में विद्यमान संस्थान के प्रति निर्देश के

बारे में यह समझा जाएगा कि वह तत्समान संस्थान के प्रति निर्देश है ;

(ख) विद्‌यमान संस्थान की या उससे संबंधित, चल और अचल, सभी संपत्तियां संस्थान में निहित हो जाएंगी ;

(ग) विद्‌यमान संस्थान के सभी अधिकार, ऋण तथा अन्य दायित्व संस्थान को अन्तरित हो जाएंगे और उसके अधिकार, ऋण तथा दायित्व हो जाएंगे ;

(घ) ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व क विद्‌यमान संस्थान द्‌वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना पद और सेवा संस्थान में उसी सेवाधृति के अनुसार, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं शर्तों तथा निबंधनों पर और पेंशन, छुट्‌टी, भविष्य निधि और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा, जैसे वह उसे उस दशा में धारण करता, यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता और तब तक ऐसा करता रहेगा, जब तक उसका नियोजन समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसकी सेवाधृति, उसका पारिश्रमिक और निबंधन तथा शर्तें विनियमों द्‌वारा सम्यक्‌ रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं :

परन्तु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्‌वारा उस कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार समाप्त किया जा सकेगा या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो स्थायी कर्मचारियों की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक और अन्य कर्मचारियों की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक के समतुल्य प्रतिकर का उसको संदाय करके समाप्त किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि अथवा किसी लिखत या अन्य दस्तावेज के अधीन संस्थान के अध्यक्ष, विद्‌यमान संस्थान के निदेशक, मुख्य कार्यकारी (प्रशासन और वित्त) या अन्य अधिकारियों के प्रति किसी निर्देश का, चाहे वह किसी भी शब्द रूप में हो, अर्थान्वयन, यथास्थिति, बोर्ड के अध्यक्ष, संस्थानों के निदेशक, रजिस्ट्रार या अन्य अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा :

परंतु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, किसी संविदा के निष्पादन के लंबित रहने तक, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में नियुक्त किया गया समझा जाएगा ।

(ङ) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विद्‌यमान संस्थान में किसी शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्‌यक्रम का अध्ययन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसे प्रारंभ पर संस्थान के उसी स्तर के पाठ्‌यक्रम में, जिस पर ऐसा व्यक्ति स्थानांतरित हुआ हो, संस्थान में स्थानांतरित और रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा ;

(च) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व, विद्‌यमान संस्थान द्‌वारा या उसके विरुद्‌ध संस्थित या संस्थित किए जा सकने वाले सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां, संस्थान द्‌वारा या उसके विरुद्‌ध जारी रखी जाएंगी या संस्थित की जाएंगी ।

5. संस्थान के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात् :— संस्थान के उद्देश्य ।

(क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान, सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए वैश्विक उत्कृष्टता का केंद्र है ;

(ख) सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाना और प्रसारित करना ;

(ग) सांख्यिकी विज्ञान, अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देना ; और

(घ) जनहित के लिए ज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोग के संवर्धन के लिए उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के बीच सहयोग बढ़ाना ।

1956 का 3 **6.** संस्थान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :— संस्थान की शक्तियां और कृत्य ।

(क) संस्थान का प्रशासन तथा प्रबंध करना ;

(ख) विभिन्न पाठ्यक्रमों में, छात्रों के प्रवेश के लिए विनियमों द्वारा उपबंध करना ;

(ग) सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के पाठ्यक्रमों का संचालन करना तथा उसके ज्ञान का प्रसार करना और नवाचार पद्धतियों को विकसित करना ;

(घ) भारत और विदेशों में, या तो स्वयं या साझेदार संस्थानों के सहयोग से केंद्र एवं परिसर स्थापित करना ;

(ङ) डिग्रियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां और उपाधियां प्रदान करना, तथा मुख्य आचार्य पद, अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और मैडल, सम्मानिक पुरस्कार और अन्य विशिष्ट उपाधियां संस्थित और प्रदान करना ;

(च) स्टार्ट-अप, इनक्यूबेशन और उद्यमशीलता प्रयासों का संवर्धन करना ;

(छ) ऐसी अवसंरचना की स्थापना और अनुरक्षण करना, जो आवश्यक हो और संस्थान के किसी भी धन और प्रतिभूतियों, जो इसके क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप के लिए तत्काल अपेक्षित नहीं है, का ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए, विनिधान और निपटान करना ;

(ज) संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई शिक्षा और अन्य संबंध सेवाओं के लिए, छात्रों और किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या निगमित निकाय से, ऐसी फीस और अन्य प्रभारों को अवधारित, विनिर्दिष्ट और प्राप्त करना ;

(झ) संस्थान से संबद्ध या उसमें निहित संपत्ति का, संस्थान के उद्देश्यों के अग्रसरण के लिए, बोर्ड के अनुमोदन से और स्थावर संपत्ति की दशा में, केन्द्रीय सरकार को पूर्व सूचना देते हुए, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसी संपत्ति पूर्णतः या भागतः केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की निधियों से

अभिप्राप्त नहीं की गई है, अर्जन करना, उसे धारित करना और उसका व्यौहार करना :

परन्तु जहां किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थान के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है, वहां ऐसी भूमि का व्ययन केवल केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकेगा ;

(ञ) संस्थान के किसी कारबार का निपटारा करने या संस्थान से तात्पर्यित किसी विषय में सलाह देने के लिए समितियां नियुक्त करना ;

(ट) अनुदान, दान तथा अभिदाय प्राप्त करना और निधियों को, जिनके अन्तर्गत संस्थान के पूंजीगत व्ययों और उसमें से उपगत व्ययों को चुकाने के लिए संस्थान की आंतरिक रूप से जनित निधियां भी हैं, अभिरक्षा में रखना ;

(ठ) ऐसी अधिशेष निधि का, जो आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 337, 2025 का 30
धारा 342 की उपधारा (1) और धारा 350 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में तत्काल अनुसंधान कार्य के लिए अपेक्षित नहीं है, विनिधान करना ;

(ड) कोई आरक्षित निधि, समग्र निधि, निक्षेप निधि, बीमा निधि, भविष्य निधि या कोई अन्य निधि बनाना, चाहे वह संस्थान की किसी संपत्ति या अधिकार के अवक्षयण या मरम्मत, सुधार करने, विस्तार करने, बनाए रखने के लिए हो या क्षयशील संपत्तियों की प्रतिपूर्ति और कर्मचारियों के फायदों के लिए हो और किसी अन्य प्रयोजनों के लिए हो ;

(ढ) भागीदारी, संबंधन का और वृत्तिक या सम्मानित या तकनीकी सदस्यता या पद के ऐसे अन्य वर्गों का, जो संस्थान आवश्यक समझे, सृजन करना ; और

(ण) संस्थान के उद्देश्य की पूर्ति के आनुषंगिक अन्य सभी बातें और क्रियाकलाप करना ।

संस्थान का सभी के लिए खुला होना ।

7. (1) संस्थान, लिंग, मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग को विचार में लिए बिना, सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा और छात्रों को प्रवेश देने, या सदस्यों, कर्मचारियों और संकाय की नियुक्ति करने में या किसी भी अन्य बात के संबंध में, धार्मिक विश्वास या मान्यता के संबंध में कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

(2) संस्थान द्वारा किसी संपत्ति की कोई ऐसी वसीयत, उसका संदान या अंतरण स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें, बोर्ड की राय में, संस्थान की भावना और उद्देश्य के विरुद्ध कोई शर्त या बाध्यता अंतर्ग्रस्त है ।

(3) संस्थान में प्रत्येक शैक्षणिक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेश, संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के प्रारंभ होने के पूर्व, उसके प्रोस्पेक्टस के माध्यम से प्रकटित पारदर्शी और युक्तियुक्त मानदंडों के माध्यम से निर्धारित योग्यता पर आधारित होगा :

परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह संस्थान को महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों या सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के और विशिष्टितया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के

नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध बनाने से निवारित करती है ।

2007 का 5

(4) संस्थान, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय शिक्षा संस्थान होगा ।

संस्थान का लाभ न कमाने वाली एक सुभिन्न विधिक सत्ता होना ।

8. (1) संस्थान, लाभ न कमाने वाली एक विधिक सत्ता होगी और ऐसे संस्थान के राजस्व में के अधिशेष के, यदि कोई हो, किसी भाग को, इस अधिनियम के अधीन उसकी संक्रियाओं के बारे में सभी व्ययों को चुकाने के पश्चात्, संस्थान के उद्देश्यों को प्राप्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए विनिहित नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान अपनी स्व-सम्पन्नता और पोषणीयता के लिए निधियां जुटाने का प्रयास करेगा ।

संस्थान में नियुक्तियां ।

9. संस्थान के संकाय और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां,—

(क) सहायक प्रोफेसर या उसके समकक्ष या उससे ऊपर के पद पर नियुक्ति की दशा में, या यदि किसी अन्य कैडर में, जिसकी वेतन-श्रेणी की अधिकतम सीमा ऐसी रकम से अधिक है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, किसी ऐसे गैर-संकाय कर्मचारिवृंद की नियुक्ति की जाती है, बोर्ड द्वारा ;

(ख) किसी अन्य दशा में, निदेशक द्वारा,

ऐसी रीति में की जाएगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

संस्थान के प्रभाग ।

10. संस्थान, अपने शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श, आउटरीच और प्रशासनिक कृत्यों के निष्पादन के लिए, अपने शैक्षणिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक और सेवा कृत्यों को, विशिष्ट प्रभागों, इकाइयों या किसी अन्य नाम, जो उचित हो, के अधीन समूहित करेगा ।

संस्थान के केंद्र ।

11. (1) संस्थान, उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए, अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण, परामर्श और आउटरीच गतिविधियां संचालित करने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, नए केंद्र स्थापित कर सकेगा ।

(2) बोर्ड, शैक्षणिक प्राथमिकताओं के आधार पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, विद्यमान केंद्रों को बनाए रख सकेगा, उनमें संशोधन कर सकेगा, उनका विलय कर सकेगा, स्थानांतरित कर सकेगा या उन्हें बंद कर सकेगा ।

(3) प्रत्येक केंद्र, उसके कृत्यों और समग्र प्रशासन में, जहां तक संभव हो, स्वायत्त हो सकेगा और अपने दैनिक प्रशासन के प्रयोजनों के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र होगा ।

(4) प्रत्येक केंद्र की, बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित, अपनी एक प्रबंधन परिषद् होगी ।

अध्याय 3

संस्थान की संरचना

संस्थान के प्राधिकारी ।

12. संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(क) कुलाध्यक्ष ;

(ख) शासक बोर्ड ;

(ग) शैक्षणिक परिषद् ;

(घ) प्रबंधन परिषद् ;

(ङ) निदेशक ;

(च) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अन्य प्राधिकारी ।

कुलाध्यक्ष ।

13. (1) भारत के राष्ट्रपति संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे ।

(2) कुलाध्यक्ष, संस्थान के काम और प्रगति की समीक्षा करने के लिए, और उसके मामलों की जांच करने के लिए, और उस पर ऐसी रीति से, जैसा कुलाध्यक्ष निर्देश दें, रिपोर्ट देने के लिए, एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेंगे ।

(3) कुलाध्यक्ष, ऐसी कोई रिपोर्ट मिलने पर, कार्रवाई कर सकेंगे और रिपोर्ट में बताए गए किसी भी मामले के संबंध में ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जो आवश्यक समझे जाएं, और संस्थान ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

शासक बोर्ड ।

14. (1) शासक बोर्ड, संस्थान का प्रधान नीति-निर्धारक कार्यपालक निकाय होगा ।

(2) बोर्ड, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, जो शिक्षा, उद्योग, शिक्षण, सार्वजनिक नीति, सांख्यिकीय विज्ञान और संबद्ध विज्ञान, या अन्य क्षेत्रों के विख्यात प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से होगा, जिसे केंद्रीय सरकार की सिफ़ारिश पर कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ख) संयुक्त सचिव, भारत सरकार की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का, केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका संस्थान पर प्रशासनिक नियंत्रण है, एक नामनिर्दिष्ट सदस्य ;

(ग) केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का, जिसका संस्थान पर प्रशासनिक नियंत्रण है, संयुक्त/अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार ;

(घ) अध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सांख्यिकीय विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों के चार विख्यात व्यक्ति :

परंतु ऐसे व्यक्ति संस्थान के कर्मचारी नहीं होंगे और इन व्यक्तियों में से एक महिला होगी ;

(ङ) संस्थान के चार प्रतिनिधि, अर्थात् :—

(i) निदेशक, पदेन ;

(ii) अध्यक्ष द्वारा, चक्रानुक्रम आधार पर, ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला केंद्र-निदेशक, पदेन ;

(iii) बोर्ड द्वारा, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले शैक्षणिक परिषद् के दो सदस्य ।

(3) रजिस्ट्रार, बोर्ड का सचिव होगा ।

बोर्ड की बैठकें ।

15. (1) बोर्ड, ऐसे स्थान और समय पर मिलेगा और अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जैसा विनियमों द्वारा

विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु बोर्ड को, विशिष्ट विषयों के लिए, संबंधित कार्यवृत्त पर चर्चा के लिए किसी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाने की शक्ति होगी ।

(2) अध्यक्ष, साधारणतया बोर्ड की बैठकों और संस्थान के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) अध्यक्ष सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वयन किया जाए ।

(4) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा, जो इस अधिनियम, और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उसे सौंपे जाएं ।

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि, उनके बीच की रिक्तियां और उनको संदेय भत्ते ।

16. (1) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, उसकी नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष होगी :

परन्तु बोर्ड का कोई सदस्य, दूसरी पदावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा, किंतु दो पदावधि से अधिक के लिए कार्यग्रहण नहीं करेगा ।

(2) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी, जब तक ऐसा सदस्य ऐसा पद, जिसके आधार पर ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य है, धारण करता है ।

(3) किसी पदेन सदस्य से भिन्न, बोर्ड का कोई सदस्य, जो अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, सदस्य नहीं रह जाएगा ।

(4) किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को ऐसी रीति में भरा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(5) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नामांकित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष पदावधि तक ही रहेगी, जिसके स्थान पर ऐसा नामांकन किया गया है ।

(6) अध्यक्ष तथा बोर्ड के सदस्य, ऐसे भत्तों के हकदार होंगे जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

बोर्ड का शक्तियाँ और कार्य।

17. (1) बोर्ड, संस्थान के कार्यकलापों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा और संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उसके कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले विनियमों का निर्माण, संशोधन या निरसन करने की शक्ति रखेगा ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के निम्नलिखित अधिकार, कार्य तथा कर्तव्य होंगे—

(क) संस्थान के प्रशासन और कार्यप्रणाली से संबंधित नीतिगत प्रश्नों पर निर्णय लेना;

(ख) संस्थान के वार्षिक बजट प्राक्कलनों का परीक्षण करना तथा उनका अनुमोदन करना;

(ग) संस्थान के विकास की योजना का परीक्षण और अनुमोदन करना तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्रोतों की पहचान करना;

(घ) संस्थान में विभागों, संकायों या अध्ययन विद्यालयों की स्थापना करना

और अध्ययन कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों की शुरुआत करना, केंद्रों में कार्यक्रमों या पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रबंधन परिषदों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए;

(ङ) राज्य सरकार के साथ परामर्श करके सांख्यिकी विज्ञान के केंद्रों की स्थापना करना तथा केंद्रीय सरकार द्वारा सूचना मिलने पर भारत में संबद्ध क्षेत्रों की स्थापना करना;

(च) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से शैक्षणिक उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापित करना, उनमें परिवर्तन करना, उनका स्थानांतरण करना अथवा उन्हें समाप्त करना तथा उन पर शैक्षणिक प्राथमिकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर इकाइयों का प्रावधान करना;

(छ) शैक्षणिक डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ या उपाधियाँ तथा छात्रवृत्तियाँ, पुरस्कार और पदक प्रदान करना, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा अनुशंसित किया जाए;

(ज) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से मानद उपाधियाँ, पुरस्कार तथा अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना;

(झ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा अन्य पदों का सृजन करना, उनके लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति की पद्धति निर्धारित करना तथा उन पदों पर नियुक्तियाँ करना;

(ञ) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा अन्य पदों की योग्यता, वर्गीकरण, पदनाम, नियुक्ति की पद्धति तथा सेवा की शर्तों का विनिर्देशन करना;

(ट) विनियमों द्वारा शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा अन्य पदों की संख्या, वेतन-भत्तों का विनिर्देशन करना तथा उनके कर्तव्यों एवं सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(ठ) विनियमों द्वारा शैक्षणिक, प्रशासनिक, तकनीकी तथा अन्य पदों के लाभार्थ पेंशन, बीमा तथा भविष्य निधियों के गठन का विनिर्देशन करना;

(ड) समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों तथा संबंधित विदेशी देश में प्रवृत्त विधियों के अनुसार भारत के बाहर सांख्यिकी विज्ञान तथा संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन-केंद्रों की स्थापना करना;

(ढ) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से संस्थान में अध्ययन-पाठ्यक्रमों तथा परीक्षाओं के लिए प्रभारित किए जाने वाले शुल्क का निर्धारण करना;

(ण) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पदकों तथा पुरस्कारों की स्थापना करना और प्रदर्शनियों का आयोजन करना;

(त) विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से अवसंरचना का सृजन करना तथा भवनों का अनुरक्षण करना;

(थ) विनियमों द्वारा विद्यार्थियों के निवास की शर्तों, निवास-गृहों एवं छात्रावासों के लिए शुल्क तथा अन्य प्रभारों का विनिर्देशन करना;

(द) विनियमों द्वारा बोर्ड के आदेशों एवं निर्णयों के अधिप्रमाणीकरण की रीति का विनिर्देशन करना;

(ध) विनियमों द्वारा बोर्ड, शैक्षणिक परिषद् अथवा किसी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति (कोरम) तथा उनके कार्य-संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का विनिर्देशन करना;

(न) संस्थान की वित्तीय व्यवस्था का प्रशासन करना;

(प) विनियमों द्वारा संस्थान की शैक्षणिक एवं सामरिक आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन, नामकरण, विलय, विच्छेदन अथवा समाप्ति अथवा शैक्षणिक निकाय के निर्णय के अनुसार किसी नए प्रभाग की स्थापना का विनिर्देशन करना; और

(फ) इस अधिनियम के अधीन संस्थान के निदेशक द्वारा उस पर अधिरोपित अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करना ।

(3) बोर्ड, शैक्षणिक, प्रशासनिक, कार्मिक, वित्तीय तथा विकासात्मक विषयों के संबंध में संस्थान का अंतिम निर्णयकारी निकाय होगा।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड अधिसूचना द्वारा अपनी शक्तियाँ तथा कर्तव्य निदेशक को इस प्रकार प्रत्यायोजित कर सकेगा, जैसा वह उपयुक्त समझे।

(5) बोर्ड, संस्थान के निगमन की तारीख से तीन वर्षों के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पाँच वर्ष की अवधि में कम से कम एक बार संस्थान के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन एवं पुनर्विलोकन करेगा। इस प्रयोजन के लिए, बोर्ड में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सार्वजनिक डोमेन में नियुक्त दीर्घकालीन रणनीति एवं रोलिंग योजनाओं के विशेषज्ञों तथा ऐसे अन्य मानकों के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जा सकेगा, जैसा बोर्ड उपयुक्त समझे।

(6) उपधारा (5) के अधीन मूल्यांकन एवं पुनर्विलोकन की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी तथा केंद्रीय सरकार उस रिपोर्ट पर कार्रवाई किए जाने के पश्चात् उसे संसद् में रखवाएगी।

(7) बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा।

18. (1) शैक्षणिक परिषद् संस्थान की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी। शैक्षणिक परिषद्।

(2) शैक्षणिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) संस्थान का निदेशक, जो शैक्षणिक परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ख) केंद्र-निदेशक—पदेन सदस्य ;

(ग) सभी पूर्णकालिक प्रोफेसर तथा बोर्ड द्वारा अवधारित की जाने वाली संख्या के अनुसार अन्य पूर्णकालिक संकाय सदस्य—पदेन सदस्य;

(घ) शैक्षणिक कार्यों के संकायाध्यक्ष—सदस्य-सचिव।

(3) शैक्षणिक परिषद् की बैठक वर्ष में कम-से-कम एक बार आयोजित की जाएगी

तथा संस्थान के केंद्रों में उस केंद्र के सदस्यों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।

शैक्षणिक परिषद् की शक्तियाँ और कार्य।

19. (1) शैक्षणिक परिषद् निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्:—

(क) पाठ्यक्रमों के संगठन तथा संशोधन का विनिर्देशन करना;

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड तथा प्रक्रिया का विनिर्देशन करना;

(ग) परीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणालियों का विनिर्देशन करना; तथा

(घ) संस्थान में अंतर्विषयी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

(2) शैक्षणिक परिषद् निम्नलिखित विषयों के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करेगी, अर्थात्:—

(क) अध्ययन-पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन-कार्यक्रमों का प्रारंभ एवं समापन;

(ख) अध्ययन-पाठ्यक्रमों तथा अध्ययन-कार्यक्रमों के लिए डिग्रियों एवं डिप्लोमा का प्रदान;

(ग) संस्थान और बाहरी संगठनों के बीच संस्थान तथा बाह्य संगठनों के मध्य सहयोग:

परंतु यह कि किसी केंद्र और किसी बाह्य संगठन के बीच सहयोग के संबंध में, उस केंद्र की प्रबंधन परिषद् को बोर्ड को सिफारिश करने की शक्ति होगी।

प्रबंधन परिषद्।

20. (1) बोर्ड प्रत्येक केंद्र के लिए एक प्रबंधन परिषद् की स्थापना कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रबंधन परिषद् उस केंद्र के मामलों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगी और इस अधिनियम, नियमों तथा उनके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार केंद्र की शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा उसके कार्यों का निर्वहन करेगी।

(3) प्रत्येक प्रबंधन परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) पीठासीन अधिकारी–संबंधित क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जैसे अकादमिक, उद्योग, शिक्षा, लोक नीति, सांख्यिकी विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्रों के व्यक्ति, जिसे बोर्ड द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से नियुक्त किया जाएगा;

(ख) निदेशक–पदेन सदस्य;

(ग) केंद्र-निदेशक–पदेन सदस्य;

(घ) केंद्र के संकायाध्यक्ष–पदेन सदस्य;

(ङ) केंद्र का उप-पंजीयक प्रबंधन परिषद् का सदस्य-सचिव होगा।

(4) केंद्र का उप-कुलसचिव प्रबंधन परिषद् का सचिव होगा।

(5) परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता सामान्यतः पीठासीन अधिकारी करेंगे।

(6) पदेन सदस्यों को छोड़कर, प्रबंधन परिषद् के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि, पारिश्रमिक एवं भत्ते, शासी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से देय होंगे।

21. (1) बोर्ड संस्थान के लिए वित्त समिति का गठन कर सकेगा। वित्त समिति ।

(2) वित्त समिति संस्थान के लेखों का परीक्षण करेगी, व्यय एवं वित्तीय प्राक्कलनों से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा करेगी तथा बोर्ड के अनुमोदन के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करेगी और धारा 29 के अधीन अनुदानों पर विचारार्थ केंद्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी।

(3) वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियाँ तथा उसके कार्य ऐसे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

22. (1) निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा तथा बोर्ड और शैक्षणिक परिषद् के निर्णयों के कार्यान्वयन तथा संस्थान के दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक।

(2) निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, ऐसी सेवा-शर्तों एवं नियमों पर की जाएगी, जो विहित किए जाएँ।

(3) निदेशक इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेगा।

(4) निदेशक, त्यागपत्र देने अथवा पद से हटाए जाने की स्थिति को छोड़कर, पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(5) निदेशक, अपने हस्ताक्षर से युक्त लिखित सूचना द्वारा, जो बोर्ड के अध्यक्ष को संबोधित होगी, किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है।

(6) बोर्ड, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, विहित रीति से निदेशक को पद से हटा सकेगा।

(7) जहां निदेशक की राय में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो अत्यावश्यक प्रकृति की हो तथा संस्थान के हित में तत्काल निर्णय लिया जाना आवश्यक हो, वहां निदेशक अपनी राय के आधारों को अभिलिखित करते हुए ऐसे आदेश जारी कर सकेगा, जो आवश्यक हों:

परंतु यह कि ऐसे आदेश, जिन्हें संस्थान के हित में अत्यावश्यक होने के कारण निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, उनके अनुसरणार्थ की गई कार्रवाई का विवरण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) जहां निदेशक किसी कारणवश पद रिक्त कर देता है, वहां बोर्ड विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा।

23. (1) प्रत्येक केंद्र का नेतृत्व एक केंद्र-निदेशक करेगा, जिसकी नियुक्ति बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से की जाएगी। केंद्र-निदेशक।

(2) केंद्र-निदेशक, केंद्र के शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय विषयों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) केंद्र-निदेशक केंद्र के प्रभावी संचालन एवं दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) केंद्र-निदेशक इस अधिनियम के अधीन प्रबंधन परिषद् द्वारा उसे सौंपे गए अधिकारों एवं कर्तव्यों का प्रयोग तथा उनका पालन करेगा।

(5) केंद्र-निदेशक, विहित समय-सीमा के भीतर, वार्षिक कार्य-निष्पादन प्रतिवेदन की एक प्रति निदेशक को अग्रेषित करेगा, जिससे वार्षिक कार्य-निष्पादन प्रतिवेदन के प्रयोजनार्थ प्रबंधन परिषद् द्वारा उससे संबंधित सिफारिशों सहित उसका परीक्षण किया जा सके:

परंतु यह कि प्रबंधन परिषद् द्वारा केंद्र-निदेशक के संबंध में अग्रेषित वार्षिक कार्य-निष्पादन प्रतिवेदन की समीक्षा बोर्ड द्वारा उसकी अनुशंसाओं सहित की जाएगी।

(6) बोर्ड, विहित रीति से, केंद्र-निदेशक को उसके पद से हटा सकेगा।

(7) केंद्र-निदेशक पद ग्रहण करने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा पुनर्नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

संकायाध्यक्ष।

24. (1) संस्थानों अथवा केंद्रों के संकायाध्यक्ष, यथास्थिति, संस्थान अथवा केंद्र के शैक्षणिक कार्यों, अनुसंधान, छात्र-कल्याण तथा ऐसे अन्य कार्यों के संगठन के लिए निदेशक अथवा केंद्र-निदेशकों के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(2) संस्थान तथा केंद्रों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति बोर्ड द्वारा, ऐसी रीति से तथा ऐसी पदावधि एवं संविभाग (कार्यभार) के लिए की जाएगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

कुलसचिव और उप-कुलसचिव ।

25. (1) संस्थान के कुलसचिव की नियुक्ति बोर्ड द्वारा ऐसी रीति से तथा ऐसे नियमों एवं सेवा-शर्तों पर की जाएगी, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) कुलसचिव अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, संस्थान की निधियों तथा संस्थान की ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा, जिसे बोर्ड उसके प्रभार में सौंपे, तथा वह अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

(3) निदेशक, संस्थान तथा केंद्रों के लिए आवश्यक संख्या में उप-कुलसचिवों की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा ऐसे नियमों एवं सेवा-शर्तों पर करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

समितियाँ।

26. बोर्ड, संस्थान तथा केंद्रों के लिए, किसी भी नाम से, ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा तथा उनकी संरचना, कर्तव्यों एवं कार्यों का विनिर्देशन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

अध्याय 4

वित्त, लेखे और लेखापरीक्षा

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

27. इस अधिनियम के अधीन संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन से, केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा विधि के माध्यम से इस निमित सम्यक् विनियोजन किए जाने के पश्चात्, संस्थान को ऐसी रीति से धनराशि का अनुदान दे सकेगी, जैसा वह उपयुक्त समझे।

संस्थान की राजस्व अर्जित करने की शक्ति।

28. संस्थान को ऐसी रीति से राजस्व अर्जित करने का अधिकार होगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

निधि।

29. (1) संस्थान एक निधि संधारित करेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे—

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त धनराशि;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य प्रभार;

(ग) धारा 27 के अंतर्गत संस्थान द्वारा प्राप्त समस्त धनराशि; तथा

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य प्रकार से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि।

(2) निधि में जमा की गई समस्त धनराशि ऐसे बैंकों में जमा की जाएगी अथवा केंद्रीय सरकार की स्वीकृति से विनियमों में निर्दिष्ट विधि के अनुसार निवेशित की जाएगी।

(3) संस्थान दीर्घकालिक स्थायित्व हेतु एक कोष निधि का निर्माण करेगा जिसमें संस्थान की शुद्ध आय का ऐसा प्रतिशत तथा विशेष रूप से उस कोष निधि हेतु प्रदत्त दान जमा किए जाएंगे जैसा कि केंद्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार अधिसूचित करेगी:

2025 का 30

परंतु यह कि बोर्ड विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बंदोबस्ती निधियाँ भी सृजित कर सकेगा, जिनके लिए समय-समय पर विशिष्ट दान दिए जा सकेंगे।

(4) निधि का उपयोग संस्थान के व्यय की पूर्ति तथा इस अधिनियम के अधीन उसके कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

लेखा और लेखा परीक्षण।

30. (1) संस्थान समुचित लेखे तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगा तथा आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण, तुलन-पत्र, आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा अन्य संगत अभिलेखों एवं विवरणों सहित, केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के परामर्श से अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में तैयार करेगा।

(2) जहां संस्थान का आय-व्यय विवरण तथा तुलन-पत्र लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करते हो, वहां संस्थान अपने आय-व्यय विवरण तथा तुलन-पत्र में निम्नलिखित का प्रकटन करेगा, अर्थात्:—

(क) लेखांकन मानकों से विचलन;

(ख) ऐसे विचलन के कारण; और

(ग) ऐसे विचलन से उत्पन्न वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो।

(3) संस्थान के खातों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षा दल द्वारा किया गया कोई भी व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जाएगा।

(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा इस संबंध में उनके द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, संस्थान के लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्राधिकार रखेगा, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को

सरकारी लेखों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त हैं; और विशेष रूप से उसे लेखा-बही, लेखे, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेजों एवं अभिलेखों को प्रस्तुत कराए जाने तथा संस्थान के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(5) संस्थान के वे खाते जिन्हें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अथवा उनके द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया गया हो, उनके साथ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और जिसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष उस प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत कराएगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो।

बही।

31. संस्थान निम्नलिखित के संबंध में बहियाँ संधारित करेगा—

(क) संस्थान द्वारा प्राप्त तथा व्यय की गई समस्त धनराशियों तथा उनसे संबंधित विषयों का लेखा ;

(ख) संस्थान की आस्तियां और दायित्व ;

(ग) संस्थान की चल और अचल संपत्तियां ।

लेखापरीक्षकों की नियुक्ति।

32. (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संस्थान के तुलनपत्र तथा आय और व्यय विवरण की जांच करने के लिए ऐसे लेखा परीक्षकों, जिनमें आंतरिक लेखा परीक्षक भी सम्मिलित हैं, को ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त करेगा, जैसा वह उचित समझे ।

1971 का 56

(2) बोर्ड, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रभावशीलता पर बोर्ड को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करने के लिए एक लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक या उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति का संस्थान के प्रशासन या कार्यों से संबंधित किसी भी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित, चाहे वह आर्थिक हो या अन्य, नहीं होगा ।

बोर्ड द्वारा लेखा-विवरण पर विचार करना ।

33. (1) लेखा विवरण, जिसमें तुलनपत्र तथा आय और व्यय विवरण, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और निदेशक द्वारा वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट और ऐसे विवरण के साथ उपाबद्ध किए जाने वाले अन्य अपेक्षित दस्तावेज सम्मिलित हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा विवरण की एक प्रति, बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले भेजी जाएगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट लेखा विवरण, बोर्ड द्वारा अनुमोदन पर, संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा ।

वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट ।

34. (1) लेखा विवरण के साथ उपाबद्ध वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट, केंद्रीय सरकार को ऐसी समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(2) वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होंगें, अर्थात् :—

(क) संस्थान की वित्तीय प्रास्थिति और प्रशासनिक मामले ;

(ख) संस्थान के तुलनपत्र में दर्शाई गई अधिशेष आरक्षितियों में हस्तांतरित की जाने वाली प्रस्तावित रकम, यदि कोई हो ;

(ग) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में व्यय से अधिक आय या व्यय से अधिक आय के न्यूनोक्ति या अत्युक्ति से संबंधित उदाहरण, यदि कोई हो, तो ऐसी विसंगतियों के स्पष्टीकरण सहित ;

(घ) अधिकारियों और संकाय सदस्यों, विशेष रूप से उनके वित्तीय निहितार्थों तक सीमित की नियुक्तियों का विवरण ।

(3) वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में संस्थान के उन पाँच अधिकारियों, संकाय सदस्यों या अन्य कर्मचारियों की सूची होगी, जिन्हें वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए भत्तों और अन्य भुगतानों सहित उच्चतम पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो ।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट विवरण में स्पष्ट रूप से यह दर्शाया जाएगा कि क्या कोई सूचीबद्ध कर्मचारी बोर्ड या शैक्षणिक परिषद् के किसी सदस्य का रिश्तेदार है, और यदि हां, तो ऐसे सदस्य का नाम और अन्य विवरण, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं ।

(5) निदेशक, संपरीक्षक की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट प्रत्येक आरक्षण, अर्हता या प्रतिकूल टिप्पणी पर व्यापक स्पष्टीकरण प्रदान करेगा ।

अध्याय 5

निष्पादन रिपोर्ट

वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट ।

35. (1) निदेशक, संस्थान की निष्पादन रिपोर्ट, ऐसे पैरामीटर पर और विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर, बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ।

(2) निदेशक को पिछले वित्तीय वर्ष में आगंतुक, केंद्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा आयोजित आवधिक पुनर्विलोकनों में की गई किसी भी प्रतिकूल खोज या सिफारिशों के लिए स्पष्टीकरण और प्रतिउत्तर भी सम्मिलित करने होंगे ।

(3) निदेशक, वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय सरकार को ऐसी समय-सीमा के भीतर, जो विहित की जाए, अग्रेषित करेगा ।

निष्पादन पुनर्विलोकन।

36. (1) बोर्ड, संकाय सहित संस्थान के निष्पादन का और मूल्यांकन करेगा ।

(2) पुनर्विलोकन, संस्थान की मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीति और रोलिंग योजनाओं के मापदंडों और बोर्ड द्वारा तय किए गए अन्य मापदंडों पर किया जाएगा ।

(3) पुनर्विलोकन, संस्थान के निगमन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके पश्चात् कम से कम प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पुनर्विलोकन किया जाएगा ।

(4) पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाएगा ।

(5) स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञों के समूह की अर्हता, अनुभव और चयन की

रीति ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

(6) बोर्ड पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे कार्रवाई रिपोर्ट के साथ केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा ।

अध्याय 6

विनियम और स्थायी आदेश

विनियम बनाने की शक्ति ।

37. (1) बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगा, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हो ।

(2) ऐसे विनियम, विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 2 के खंड (घ) के अधीन अन्य प्रयोजन ;

(ख) धारा 2 के खंड (ट) के अधीन ऐसे अन्य शैक्षणिक पदनाम ;

(ग) धारा 2 के खंड (न) के अधीन सांख्यिकीय विज्ञान के संबद्ध क्षेत्र और संबंधित विषय ;

(घ) धारा 6 के खंड (ख) के अधीन विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों में छात्रों का प्रवेश ;

(ङ) धारा 6 के खंड (छ) के अधीन अवसंरचना और निवेश ;

(च) धारा 9 के अंतर्गत संस्थान के संकाय और कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति ;

(छ) वेतनमान की अधिकतम राशि जो धारा 9 के खंड (क) के अधीन किसी काडर में गैर संकाय स्टाफ को संदाय की जाने वाली ऐसी राशि से अधिक हो ;

(ज) धारा 11 की उपधारा (2) के अंतर्गत किसी भी विद्यमान केंद्रों का रखरखाव उपांतरण, विलय, स्थानांतरण या बंद करना ;

(झ) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (ii) के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में केंद्रीय-निदेशक के नामांकन की रीति ;

(ञ) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (iii) के अधीन बोर्ड में शैक्षणिक परिषद् के दो सदस्यों के नामांकन की रीति ;

(ट) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन कारबार के संव्यवहार के संबंध में बोर्ड की बैठकें और प्रक्रिया के नियम ;

(ठ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन बोर्ड के किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने की रीति ;

(ड) धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते ;

(ढ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन विद्यमान शाखाओं, उत्कृष्टता केंद्रों और बाहरी इकाइयों की स्थापना, उपांतरण, विलय, स्थानांतरण या

समाप्ति ;

(ण) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन मानद डिग्रियां, पंचाट और अन्य विशिष्टियों की सुनिश्चितता ;

(त) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन कर्मचारियों की अर्हता, वर्गीकरण, कार्यकाल और नियुक्ति की विधि ;

(थ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन कर्मचारियों की संख्या, पारिश्रमिक, कर्तव्य और सेवा शर्तें ;

(द) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ठ) के अधीन कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का गठन ;

(ध) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के अधीन संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क ;

(न) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार प्रदान करना और प्रदर्शनियों का आयोजन करना ;

(प) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (त) के अधीन बुनियादी ढांचे का निर्माण और भवनों का रखरखाव ;

(फ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (थ) के अधीन संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों में रहने के लिए शुल्क तथा अन्य शुल्कों का उद्ग्रहण;

(ब) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों के प्रमाणीकरण की रीति ;

(भ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ध) के अधीन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद् या किसी समिति की बैठकों के लिए कोरम और उनके कारबार के संव्यवहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं ;

(म) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (प) के अधीन संस्थान की शैक्षणिक और रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी प्रभाग का पुनर्गठन, नामकरण, पुनर्नामकरण, विलय या बंद करना या किसी नए प्रभाग का सृजन करना;

(य) धारा 20 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रबंधन परिषद् के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की रीति ;

(यक) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ;

(यख) धारा 22 की उपधारा (8) के अधीन कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति की रीति ;

(यग) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा डीन की नियुक्ति,अवधि और पोर्ट फोलिओ की रीति ;

(यघ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(यङ) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन उप रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की रीति और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(यच) धारा 26 के अधीन समितियों के गठन, संरचना, कर्तव्यों और कार्यों की रीति ;

(यछ) धारा 28 के अधीन राजस्व उत्पन्न करने के साधन;

(यज) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन निधि में जमा धनराशि के निवेश की रीति ;

(यझ) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन निधि के व्यय का अन्य प्रयोजन ;

(यञ) धारा 35 की उपधारा (1) के अंतर्गत बोर्ड को संस्थान की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मूल्यांकन के मापदंड और समयसीमा;

(यट) धारा 36 की उपधारा (5) के अधीन स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञों के समूह की अर्हता, अनुभव और चयन की रीति ;

(यठ) विद्यमान संस्थान के अधीन गठित समितियों के कामकाज की रीति और धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन उनका आज्ञापक पुनर्विलोकन ; और

(यड) कोई अन्य विषय, जिसके लिए या जिसके संबंध में बोर्ड द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) संस्थान के पहले विनियम बोर्ड द्वारा केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमोदन से बनाए जाएंगे।

स्थायी आदेश ।

38. (1) शैक्षणिक परिषद्, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थायी आदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों से असंगत न हों ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे स्थायी आदेश निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) संस्थान में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) संस्थान की सभी डिग्रियों और डिप्लोमा के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों और संस्थान की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा और वे डिग्री और डिप्लोमा के लिए पात्र होंगे ;

(घ) फेलोशिप, छात्रवृत्ति, पदक, पुरस्कार प्रदान करने और प्रदर्शनियों के संचालन की शर्तें ;

(ङ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों और नियंत्रकों की नियुक्ति की शर्तें और

पद्धति तथा उनके कर्तव्य ;

(च) परीक्षाओं का संचालन ;

(छ) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना ; और

(ज) कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम के अंतर्गत स्थायी आदेशों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जा सकेगा ।

(3) शैक्षणिक परिषद् द्वारा किए गए स्थायी आदेश उस तारीख से प्रभावी होंगे, जैसा वह निर्देशित करे और अगली बैठक में बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(4) बोर्ड संकल्प द्वारा किसी स्थायी आदेश को उपांतरित या रद्द कर सकेगा और ऐसा स्थायी आदेश संकल्प की तारीख से तदनुसार संशोधित या रद्द समझा जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

रिक्तियों, आदि से कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

39. इस अधिनियम के अधीन गठित परिषद्, या किसी संस्थान या बोर्ड या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य, केवल इस कारण अविधिमान्य न होगा कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) इसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ।

केन्द्रीय सरकार को विवरणियां और सूचना दिया जाना।

40. प्रत्येक संस्थान, केन्द्रीय सरकार को अपनी नीतियों या क्रियाकलापों के संबंध में ऐसी विवरणियां या अन्य सूचना, जो केन्द्रीय सरकार, संसद् को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए या नीति बनाने के लिए समय-समय पर अपेक्षा करे, देगा ।

संस्थान का सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकारी होना।

2005 का 22 **41.** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध, संस्थान को लागू होंगे, जैसे यदि अधिनियम की धारा 2 के खंड (ज) में परिभाषित लोक प्राधिकारी थे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

42. (1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं बातों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन बोर्ड में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नामांकन की रीति ;

(ख) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन निदेशक की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और नियम ;

(ग) धारा 22 की उपधारा (6) के अधीन निदेशक को हटाने की रीति ;

(घ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय निदेशकों की नियुक्ति की

रीति ;

(ङ) धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन प्रबंधन परिषद् को केंद्र के वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए केंद्रीय निदेशक द्वारा समय सीमा ;

(च) धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन केंद्रीय -निदेशकों को हटाने की रीति ;

(छ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा ;

(ज) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार को वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट की प्रति भेजने की समय सीमा ; और

(झ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना है या किया जा सकता है या जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा उपबंध किया जाना है।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

43. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, और जो उसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संसद् के समक्ष नियमों और पहले विनियमों को रखा जाना।

44. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और पहले विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम और विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं, कि वह नियम पहला विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम और विनियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम और विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

केंद्रीय सरकार के पास निर्देश देने की शक्ति।

45. केंद्रीय सरकार समय-समय पर संस्थान को ऐसे निर्देश दे सकती है जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और संस्थान को ऐसे निर्देशों का पालन करना होगा।

संक्रमणकालीन उपबंध।

46. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले कार्यरत संस्थान की परिषद् को इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड के गठन तक बोर्ड समझा जाएगा :

परंतु इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के गठन पर, ऐसे गठन से पहले पद

धारण करने वाले परिषद् के सदस्य तत्काल ही पद छोड़ देंगे ;

(ख) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले कार्यरत संस्थान की शैक्षणिक परिषद् को इस अधिनियम के अधीन गठित शैक्षणिक परिषद् माना जाएगा, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक परिषद् का गठन नहीं हो जाता :

परंतु इस अधिनियम के अधीन शैक्षणिक परिषद् के गठन पर, ऐसे गठन से पहले पद धारण करने वाले शैक्षणिक परिषद् के सदस्य तत्काल प्रभाव से पद छोड़ देंगे ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन पहले विनियम बनाए जाने तक, विद्‌यमान संस्थान के विनियम और उपनियम जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू थे, इस हद तक लागू रहेंगे कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों ;

(घ) जब तक इस अधिनियम के अधीन निदेशक, अध्ययन डीन और केंद्रीय निदेशकों की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक विद्‌यमान संस्थान के निदेशक, अध्ययन डीन और केंद्रीय निदेशक, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले पद पर हैं, उसी कार्यकाल, उसी पारिश्रमिक और उसी शर्तों और नियमों के साथ तथा पेंशन, अवकाश, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद पर बने रहेंगे, जैसे कि यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं होता :

परंतु इस अधिनियम के अधीन निदेशक, अध्ययन डीन और केंद्रीय निदेशकों की नियुक्ति होने पर, ऐसी नियुक्ति से पहले पद पर आसीन निदेशक, अध्ययन डीन और केंद्रीय निदेशक तत्काल प्रभाव से पद छोड़ देंगे ;

(ङ) विद्‌यमान संस्थान के अधीन गठित समितियां विनियमों द्‌वारा निर्दिष्ट तरीके से कार्य करना जारी रखेंगी, लेकिन बोर्ड द्‌वारा अनिवार्य पुनर्विलोकन के अधीन होंगी और बोर्ड द्‌वारा उचित समझे जाने वाले नियमों और शर्तों पर उन्हें जारी रखा जा सकता है, बंद किया जा सकता है या पुनर्गठित किया जा सकता है।

(2) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि आवश्यक और समीचीन समझे, तो अधिसूचना द्‌वारा, इस अधिनियम के अधीन संक्रमण के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है।

1959 का 57 **47.** (1) भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959, इसके द्‌वारा निरस्त किया जाता है । निरसन और व्यावृत्ति।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसित होते हुए, यह निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा :—

(क) अनुसूची में दिए गए उक्त अधिनियम के उपबंध ; या

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत नहीं है, इस अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या की गई मानी

जाएगी, मानो उक्त उपबंध उस समय लागू थे जब ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी, और इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी भी कार्य या की गई किसी भी कार्रवाई द्‌वारा निरस्त किए जाने तक तदनुसार लागू रहेगी ।

(3) उपधारा (2) में विशिष्ट मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा । ß 1897 का 10

अनुसूची

(धारा 47 देखिए)

1959 का 57

भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के उपबंध लागू रहेंगे

3. भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करना— भारतीय सांख्यिकी संस्थान के उद्देश्य ऐसे हैं जो इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाते हैं, अत: यह घोषित किया जाता है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (भा.सा.सं.) का गठन 17 दिसंबर, 1931 को किया गया था और यह सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन 28 अप्रैल, 1932 को सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हुआ था । वर्तमान में, पश्चिमी बंगाल सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, संस्थान ने सांख्यिकी, गणित, परिमाणात्मक अर्थशास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्रों में देश के लिए अग्रणी सेवा की है और सांख्यिकीय विज्ञान में अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण के केंद्र के रूप में इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली है ।

2. भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 ने संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया और इसे सांख्यिकी में डिग्री और डिप्लोमा देने के लिए सशक्त किया । उक्त अधिनियम का 1995 में संशोधन किया गया, जिससे संस्थान को, सांख्यिकी, गणित, परिमाणात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी से संबंधित ऐसे अन्य विषयों में, जो संस्थान द्वारा समय-समय पर अवधारित किए जाएं, डिग्री और डिप्लोमा देने के लिए सशक्त किया ।

3. भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, केंद्रीय सरकार, संस्थान द्वारा किए गए कार्य की पुनर्विलोकन, जांच और मूल्यांकन करने के लिए, समय-समय पर, समितियां बनाती है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, डॉ. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में गठित संस्थान की चौथी पुनर्विलोकन समिति ने, जुलाई 2021 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में पाया कि संस्थान अपनी असली क्षमता तक पहुँच सकता है और बड़ा बदलाव ला सकता है, यदि वह कतिपय मौलिक परिवर्तन करे, इनमें से कुछ परिवर्तन सिर्फ़ छोटे-मोटे सुधार नहीं, बल्कि इसकी अवसंरचना, तंत्र और प्रक्रिया में सचमुच क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे, जिन्हें उच्च नेतृत्व से लेकर हर कर्मचारी तक के ऊँचे लक्ष्यों का समर्थन प्राप्त होगा । समिति ने सुझाव दिया कि भा.सा.सं. को अपनी नेतृत्व की स्थिति को पुन: प्राप्त करने और बदलते समय में सुसंगत बने रहने के लिए स्वयं को नए सिरे से सोचना, नया रूप देना और नई स्थिति में लाना होगा । साथ ही, जब भा.सा.सं. 2031 में अपने शताब्दी वर्ष (100 वर्ष पूरे होने) में पहुँचे, तो उसका लक्ष्य 'भा.सा.सं.@100' का नया दृष्टिकोण बनाना होना चाहिए, जिससे वह विद्यमान अच्छे स्तर से सर्वोत्तम स्तर पर पहुँच सके और वैश्विक रूप से सबसे प्रमुख संस्थानों में से एक बन सके ।

4. भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 में संस्थान के शासन, प्रशासन, वित्त, उत्तरदायित्व और संचालन के संबंध में सीमित उपबंध हैं और यह संस्थान बदलते हुए शैक्षणिक और अनुसंधान वातावरण की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने के लिए पर्याप्त नहीं है । इसलिए, इस अधिनियम को निरसित करना और सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में वैश्विक मान्यताप्राप्त केंद्र के रूप में अग्रगण्य होने के लिए, राष्ट्रीय महत्व के एक संस्थान, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निगमन का उपबंध करने के लिए एक व्यापक विधान का अधिनियमन करना आवश्यक समझा गया ।

5. यह विधिक सुधार, एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थ बनाएगा, जो उच्च-गुणवत्ता वाले सांख्यिकीविदों और डेटा वैज्ञानिकों की एक नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने, ऐसे गहन प्रतिभा-अंतर को भरने, जिसका वर्तमान में भारत के तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र द्वारा सामना किया जा रहा है । संस्थान, अपने शासन को आधुनिकीकरण द्वारा,

वास्तविक दुनिया की विशलेषणात्मक समस्याओं को हल करने, फिनटेक, कृषि, स्वास्थ्य देखरेख और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों के साथ मिलकर तेज़ी से काम कर सकता है ।

6. देश अब विकसित भारत के दृष्टिकोण की ओर एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकल चुका है और इस दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए सांख्यिकीय और संस्थागत अवसंरचना का विकास होना चाहिए । ये सुधार भा.सा.सं. को एक भविष्य-उन्मुख, विश्व-स्तरीय संस्थान में बदलने के लिए एक रणनीतिक उत्प्रेरक का काम करेंगे, जो भारत की वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने की यात्रा में अहम भूमिका निभाएगा । यह न केवल भा.सा.सं. को संस्थागत रूप से मज़बूत बनाने के लिए आवश्यक है, अपितु विकसित भारत के समर्थन में डेटा, अनुसंधान, नवाचार और कुशल मानव संसाधनों का भविष्य-के-अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के व्यापक राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए भी आवश्यक है ।

7. भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक, 2026, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात् :—

(क) भारतीय सांख्यिकी संस्थान को एक निगमित निकाय के रूप में निगमित करना और भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के अधीन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने की स्थिति को बनाए रखना ;

(ख) विद्यमान संस्थान की संपत्तियों, अधिकारों, ऋणों और दायित्वों को संस्थान में निहित करना और उसमें अंतरण करना तथा विद्यमान संस्थान के कर्मचारियों के, और वहां शैक्षणिक या अनुसंधान पाठ्यक्रम कर रहे छात्रों के हितों का संरक्षण करना ;

(ग) संस्थान के उद्देश्यों को अधिकथित करना, जिसमें यह सुनिश्चित करना सम्मिलित है कि संस्थान सांख्यिकीय विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए वैश्विक उत्कृष्टता का केंद्र है ;

(घ) संस्थान को सांख्यिकीय विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन, प्रशिक्षण और अनुसंधान के पाठ्यक्रम चलाने, डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक सम्मान या उपाधियां देने तथा भारत और विदेशों में केंद्र और परिसर स्थापित करने के लिए सशक्त करना ;

(ङ) यह उपबंध करना कि संस्थान सभी लोगों के लिए खुला रहेगा, कि प्रत्येक शैक्षणिक पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश गुणावगुण के आधार पर होगा और संस्थान, केंद्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए एक केंद्रीय शिक्षा संस्था होगा ;

(च) यह उपबंध करना कि संस्थान एक गैर-लाभकारी विधिक संस्था होगी ;

(छ) यह उपबंध करना कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे ;

(ज) संस्थान का प्रधान नीति-निर्धारक कार्यपालक निकाय के रूप में एक सघन शासक बोर्ड का, जो केंद्रीय सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा, और संस्थान के प्रधान शैक्षणिक निकाय के रूप में शैक्षणिक परिषद् का उपबंध करना ;

(झ) संस्थान के केंद्रों पर प्रबंधन परिषदों की स्थापना और एक वित्तीय समिति के गठन का उपबंध करना ;

(ञ) संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में निदेशक की नियुक्ति

के लिए और केंद्र-निदेशकों, संकायाध्यक्षों, रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रारों की नियुक्ति के लिए उपबंध करना ;

(ट) केंद्रीय सरकार को, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा, सम्यक् विनियोग के पश्चात्, संस्थान को ऐसी धनराशि का संदाय करना, जो वह उचित समझे, संस्थान से एक निधि बनाए रखने और दीर्घकालिक वहनीयता के लिए एक समग्र निधि बनाने के लिए अपेक्षा करना, और संस्थान को राजस्व सृजित करने के लिए सशक्त करना ;

(ठ) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए और संपरीक्षित लेखाओं के, संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने का उपबंध करना ;

(ड) वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट और वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए और किसी स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञों के समूह द्वारा संस्थान, जिसके अंतर्गत इसके संकाय सम्मिलित हैं, के निष्पादन का आवधिक मूल्यांकन और पुनर्विलोकन का उपबंध करना ;

(ढ) शासक बोर्ड को विनियम बनाने के लिए, शैक्षणिक परिषद् को स्थायी आदेश जारी करने और केंद्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करना, और प्रत्येक नियम और प्रथम विनियम को संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का उपबंध करना ;

(ण) यह उपबंध करना कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध संस्थान पर लागू होंगे ; और

(त) भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959 के उस उपबंध की व्यावृत्ति करते हुए, जिसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है, उक्त अधिनियम को निरसित करना ।

8. खंडों पर टिप्पण, विधेयक के विभिन्न उपबंधों को विस्तार में स्पष्ट करता है ।

9. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
24 जुलाई, 2026

राव इंद्रजीत सिंह

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड प्रस्तावित विधेयक के संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के संबंध में है।

खंड 2—यह खंड प्रस्तावित विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न अभिव्यक्तियों की परिभाषाएँ समाहित करती है।

खंड 3—यह खंड प्रस्तावित विधेयक के अधीन भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अधिनियमन का उपबंध करती है।

खंड 4—यह खंड संस्थान के अधिनियमन के प्रभाव के संबंध में उपबंध करती है।

खंड 5—यह खंड संस्थान के उद्देश्यों का निरूपण करती है, अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि संस्थान सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए वैश्विक उत्कृष्टता का केंद्र हो; सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों का ज्ञान उन्नत करना और उसका प्रसार करना; सांख्यिकी विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, संगणक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में अंतर्विषयी अनुसंधान को प्रोत्साहित करना; और उद्योग, अकादमिक जगत और शासन के मध्य सहयोग को सुदृढ़ करना ताकि जनहित में ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग प्रोत्साहित हो सके।

खंड 6—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 अथवा वर्तमान में प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी यह खंड संस्थान की शक्तियों और कार्यों का विवेचन करती है, इनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शक्तियाँ सम्मिलित हैं– विनियमों द्वारा अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश का उपबंध करना; सांख्यिकी विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन, प्रशिक्षण और अनुसंधान का संचालन करना; भारत और विदेश में केंद्रों और परिसरों की स्थापना करना; उपाधियाँ, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ या उपाधियाँ प्रदान करना और अध्यापक पदों, अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्तियों, पुरस्कारों और पदकों की स्थापना और प्रदान करना; नवप्रवर्तन, उद्भवन और उद्यमशील प्रयासों को प्रोत्साहित करना; शुल्क और अन्य प्रभारों का निर्धारण, विनिर्देशन और प्राप्ति करना; संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और प्रबंधन करना; समितियों की नियुक्ति करना; अनुदान, उपहार और योगदान प्राप्त करना; अधिशेष निधियों का निवेश करना; आरक्षित निधि, कोष, निक्षेप निधि , बीमा, भविष्य निधि और अन्य निधियों का सृजन करना; और साझेदारियाँ और संबद्धताएँ स्थापित करना।

खंड 7—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा, चाहे उनका लिंग, जाति, धर्म, वर्ण या वर्ग कुछ भी हो, और धार्मिक विश्वास या आचरण के संबंध में कोई परीक्षा या शर्त आरोपित नहीं की जाएगी। यह आगे उपबंध करती है कि प्रत्येक शैक्षणिक पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश योग्यता पर आधारित होगा, जिसे पारदर्शी और युक्तिसंगत मानदंडों द्वारा आंका जाएगा, बिना इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले कि महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रोजगार या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं; और यह कि संस्थान केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान होगा, केन्द्रीय शिक्षा संस्था (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के प्रयोजनों के लिए।

खंड 8—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान एक गैर-लाभकारी विधिक इकाई होगा और संस्थान की आय में यदि कोई अधिशेष हो तो उसका निवेश केवल संस्थान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही किया जाएगा, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यह भी

उपबंध करती है कि संस्थान आत्मनिर्भरता और स्थायित्व के लिए निधि संकलन का प्रयास करेगा।

खंड 9—यह खंड संस्थान के संकाय और कर्मचारियों की नियुक्तियों की विधि के संबंध में उपबंध करती है।

खंड 10—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान अपने शैक्षणिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक और सेवा संबंधी कार्यों को पृथक-पृथक प्रभागों अथवा इकाइयों में संगठित करेगा, ताकि उसके अध्यापन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, परामर्श, जनसंपर्क और प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन किया जा सके।

खंड 11—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, अनुसंधान, अध्यापन, प्रशिक्षण, परामर्श और जनसंपर्क गतिविधियों के संचालन हेतु नए केंद्र स्थापित कर सकेगा; और प्रबन्ध मंडल को यह अधिकार होगा कि शैक्षणिक प्राथमिकताओं के आधार पर विद्यमान केंद्रों का अनुरक्षण, संशोधन, विलयन, स्थानांतरण अथवा निरसन कर सके। यह आगे उपबंध करती है कि प्रत्येक केंद्र, यथासंभव, अपने कार्यनिष्पादन और समग्र प्रशासन में स्वायत्त होगा और उसका अपना प्रबंधन परिषद हो सकता है, जिसे प्रबन्ध मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

खंड 12—यह खंड संस्थान की प्राधिकृत संस्थाओं का विवेचन करती है, अर्थात् कुलाध्यक्ष, प्रबन्ध मंडल, शैक्षणिक परिषद, प्रबंधन परिषद, निदेशक और प्रस्तावित विधेयक के अधीन नियुक्त अन्य प्राधिकृत संस्थाएँ।

खंड 13—यह खंड उपबंध करती है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे और संस्थान के संबंध में कुलाध्यक्ष की शक्तियों का उपबंध करती है।

खंड 14—यह खंड उपबंध करती है कि प्रबन्ध मंडल संस्थान का प्रमुख नीतिनिर्माण कार्यकारी निकाय होगा और उसके गठन और अध्यक्ष की नियुक्ति की विधि का उपबंध करती है।

खंड 15—यह खंड उपबंध करती है कि प्रबन्ध मंडल की बैठकों का आयोजन किया जाएगा और यह कि अध्यक्ष सामान्यतः प्रबन्ध मंडल की बैठकों और संस्थान के दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेंगे।

खंड 16—यह खंड अध्यक्ष और प्रबन्ध मंडल के सदस्यों के पदावधि, रिक्तियों और देय भत्तों के संबंध में उपबंध करती है।

खंड 17—यह खंड उपबंध करती है कि प्रबन्ध मंडल संस्थान के कार्यों की सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगा; उसे संस्थान के कार्यों को विनियमित करने वाले विनियमों को बनाने, संशोधित करने अथवा निरस्त करने की शक्ति होगी; और शैक्षणिक, प्रशासनिक, कार्मिक, वित्तीय और विकासात्मक विषयों में संस्थान का अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय होगा। यह खंड आगे प्रबन्ध मंडल की शक्तियों का विवेचन करती है।

खंड 18—यह खंड उपबंध करती है कि शैक्षणिक परिषद संस्थान की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और उसके गठन का उपबंध करती है, जिसमें संस्थान के निदेशक अध्यक्ष होंगे, केंद्र-निदेशक और सभी पूर्णकालिक प्राध्यापक और प्रबन्ध मंडल द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य पूर्णकालिक संकाय सदस्य पदेन-सदस्य होंगे और शैक्षणिक कार्यों के संकायाध्यक्ष सदस्य-सचिव होंगे; और शैक्षणिक परिषद की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार आयोजित की जाएगी।

खंड 19—यह खंड शैक्षणिक परिषद की शक्तियों और कार्यों का विवेचन करती है, अर्थात् पाठ्यक्रमों के संगठन और संशोधन, विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड और प्रक्रिया, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली का विनिर्देशन करना; और संस्थान में अंतर्विषयी अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। यह आगे उपबंध करती है कि शैक्षणिक परिषद पाठ्यक्रमों और अध्ययन कार्यक्रमों की शुरुआत और निरसन, उपाधियों और डिप्लोमा की प्रदान, और संस्थान और बाह्य संगठनों के बीच सहयोग के संबंध में प्रबन्ध मंडल को अनुशंसाएँ करेगी।

खंड 20—यह खंड प्रबन्ध मंडल को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह प्रत्येक केंद्र में एक प्रबंधन परिषद स्थापित करे, जो केंद्र के कार्यों की सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगी; और उसके गठन का उपबंध करती है, जिसमें पीठासीन अधिकारी, जिसे प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त किया जाएगा; निदेशक, केंद्र-निदेशक और केंद्र के संकायाध्यक्ष पदेन-सदस्य होंगे; और एक शैक्षणिक परिषद का सदस्य, जिसे प्रबन्ध मंडल द्वारा नामित किया जाएगा। केंद्र का उप-कुलसचिव प्रबंधन परिषद का सचिव होगा; और अध्यक्ष और प्रबन्ध मंडल के सदस्यों के पदावधि, रिक्तियों और देय भत्तों से संबंधित उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित पीठासीन अधिकारी और प्रबंधन परिषद के सदस्यों पर लागू होंगे।

खंड 21.— यह खंड प्रबन्ध मंडल को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह संस्थान की एक वित समिति का गठन करे, जो संस्थान के लेखा की परीक्षा करेगी, व्यय और वित्तीय अनुमान संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और एक प्रतिवेदन तैयार करेगी, जिसे प्रबन्ध मंडल की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और तत्पश्चात अनुदानों के विचारार्थ केन्द्रीय सरकार को अग्रसारित किया जाएगा।

खंड 22—यह खंड उपबंध करती है कि निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रबन्ध मंडल और शैक्षणिक परिषद के निर्णयों के क्रियान्वयन और संस्थान के दैनिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक की नियुक्ति प्रबन्ध मंडल द्वारा कुलाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से की जाएगी और वह पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। यह खंड आगे निदेशक के त्यागपत्र और कुलाध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से प्रबन्ध मंडल द्वारा उसके पद से हटाए जाने का उपबंध करती है; निदेशक को आकस्मिक परिस्थितियों में आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करती है, जो प्रबन्ध मंडल द्वारा अनुमोदन के अधीन होगा; और कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति का उपबंध करती है।

खंड 23—यह खंड उपबंध करती है कि प्रत्येक केंद्र का प्रमुख केंद्र-निदेशक होगा, जिसकी नियुक्ति प्रबन्ध मंडल द्वारा की जाएगी। केंद्र-निदेशक केंद्र से संबंधित सभी वैज्ञानिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय विषयों के लिए प्रबंधन परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके प्रभावी कार्यनिष्पादन और दैनिक प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा। केंद्र-निदेशक केंद्र का वार्षिक कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन संबंधित प्रबंधन परिषद को प्रस्तुत करेगा, जो अपनी अनुशंसाओं सहित उसे प्रबन्ध मंडल को अग्रसारित करेगी। केंद्र-निदेशक पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा; और यह खंड आगे प्रबन्ध मंडल द्वारा केंद्र-निदेशक को पद से हटाए जाने का उपबंध करती है।

खंड 24—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान अथवा केंद्रों के संकायाध्यक्ष निदेशक अथवा केंद्र-निदेशक, जैसा कि स्थिति हो, के प्रति उत्तरदायी होंगे, और वे शैक्षणिक कार्यों, अनुसंधान, छात्र मामलों और संस्थान अथवा केंद्र के अन्य कार्यों के

संगठन के लिए उत्तरदायी होंगे। संकायाध्यक्षों की नियुक्ति प्रबन्ध मंडल द्वारा की जाएगी, और उनकी नियुक्ति की विधि, पदावधि और कार्यक्षेत्र विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

खंड 25—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान के कुलसचिव की नियुक्ति प्रबन्ध मंडल द्वारा की जाएगी और संस्थान और केंद्रों के उप-कुलसचिवों की नियुक्ति निदेशक द्वारा की जाएगी। कुलसचिव संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुहर, निधियों और ऐसी अन्य संपत्ति का संरक्षक होगा, जिसे प्रबन्ध मंडल उसके अधीन सौंपेगा; और वह अपने कार्यों के उचित निर्वहन के लिए निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा।

खंड 26.— यह खंड प्रबन्ध मंडल को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह संस्थान और केंद्रों के लिए समितियों का गठन करे, जिनकी संरचना, कर्तव्य और कार्य विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

खंड 27—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान को अपने कार्यों का कुशल निर्वहन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, संसद द्वारा इस संबंध में विधि द्वारा की गई विनियोग के पश्चात, केन्द्रीय सरकार संस्थान को ऐसी राशि ऐसे तरीके से प्रदान कर सकती है, जैसा उसे उपयुक्त प्रतीत हो।

खंड 28—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट साधनों से राजस्व उत्पन्न करने का अधिकार होगा।

खंड 29—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान एक निधि का संधारण करेगा, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनराशि, संस्थान द्वारा प्राप्त सभी शुल्क और अन्य प्रभार, और संस्थान को किसी अन्य प्रकार से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशि जमा की जाएंगी।

खंड 30—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान उचित लेखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का संधारण करेगा और वार्षिक लेखा विवरण, जिसमें तुलनपत्र भी सम्मिलित होगी, ऐसी रूपरेखा में तैयार करेगा, जैसा कि भारत के महालेखापरीक्षक के परामर्श से केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी। यह आगे उपबंध करती है कि संस्थान के लेखों का लेखा परीक्षण भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाएगा, जिसे ऐसे लेखा परीक्षण के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो उसे सरकारी लेखों के लेखा परीक्षण के संबंध में प्राप्त हैं; और प्रमाणित लेखों को, उनके लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रसारित किया जाएगा, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कराएगी।

खंड 31—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान सभी प्राप्त और व्यय की गई धनराशि, संस्थान की परिसंपत्तियों और देयताओं और उसकी चल और अचल संपत्तियों के संबंध में लेखा-पुस्तकें संधारित करेगा।

खंड 32—यह खंड प्रबन्ध मंडल को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करे, जिसमें एक आंतरिक लेखा परीक्षक भी सम्मिलित होगा, जो संस्थान की तुलनपत्र और आय-व्यय विवरण का परीक्षण करेगा; और एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करे, जो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रभावशीलता पर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करेगी।

खंड 33—यह खंड उपबंध करती है कि लेखा विवरण, जिसमें तुलनपत्र और आय-व्यय विवरण सम्मिलित होंगे, लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन और निदेशक द्वारा

प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात प्रबन्ध मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

खंड 34—यह खंड उपबंध करती है कि वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को ऐसी समयसीमा के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और ऐसे प्रतिवेदन की विषयवस्तु का विनिर्देशन करेगी।

खंड 35—यह खंड उपबंध करती है कि निदेशक संस्थान का वार्षिक कार्यनिष्पादन प्रतिवेदन प्रबन्ध मंडल को प्रस्तुत करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों और समयसीमा के भीतर होगा। इस प्रतिवेदन में कुलाध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार अथवा प्रबन्ध मंडल द्वारा की गई आवधिक समीक्षाओं में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों या अनुशंसाओं के स्पष्टीकरण और उत्तर सम्मिलित होंगे। निदेशक प्रतिवेदन की एक प्रति विनिर्दिष्ट समयसीमा के भीतर केन्द्रीय सरकार को भी अग्रसारित करेगा।

खंड 36—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान के कार्यनिष्पादन, जिसमें उसके संकाय भी सम्मिलित होंगे, का मूल्यांकन और समीक्षा एक स्वतंत्र अभिकरण अथवा विशेषज्ञों के समूह द्वारा की जाएगी, जिन्हें प्रबन्ध मंडल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह मूल्यांकन संस्थान की स्थापना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा और तत्पश्चात कम से कम प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार किया जाएगा। प्रबन्ध मंडल समीक्षा प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे कार्यवाही-प्रतिवेदन सहित केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

खंड 37—यह खंड प्रबन्ध मंडल को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अधिसूचना द्वारा राजपत्र में विनियम बनाए, बशर्ते कि वे प्रस्तावित विधेयक और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रतिकूल न हों; और उन विषयों का विवेचन करती है जिनके संबंध में ऐसे विनियम बनाए जा सकते हैं। यह आगे उपबंध करती है कि संस्थान के प्रथम विनियम प्रबन्ध मंडल द्वारा केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाए जाएंगे।

खंड 38—यह खंड शैक्षणिक परिषद को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अधिसूचना द्वारा स्थायी आदेश जारी करे, परंतु वे प्रस्तावित विधेयक और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हों; और उन विषयों का विवेचन करती है जिनके संबंध में ऐसे स्थायी आदेश जारी किए जा सकते हैं। स्थायी आदेश प्रबन्ध मंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे और प्रबन्ध मंडल संकल्प द्वारा किसी भी स्थायी आदेश में संशोधन या उसे निरस्त कर सकता है।

खंड 39—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान, प्रबन्ध मंडल, शैक्षणिक परिषद अथवा प्रस्तावित विधेयक के अधीन गठित किसी अन्य निकाय का कोई कार्य केवल इस कारण से अमान्य नहीं होगा कि किसी निकाय में कोई रिक्ति हो या उसके गठन में कोई दोष हो, अथवा किसी निकाय की कार्यवाही में ऐसी कोई अनियमितता हो जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करती हो, अथवा किसी व्यक्ति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु चयन, नामांकन या नियुक्ति में कोई दोष हो।

खंड 40—यह खंड उपबंध करती है कि संस्थान अपनी नीतियों या गतिविधियों के संबंध में ऐसी प्रतिवेदनियाँ या अन्य जानकारी केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगा, जैसा कि केन्द्रीय सरकार संसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अथवा नीति निर्माण के उद्देश्य से समय-समय पर अपेक्षित करेगी।

खंड 41—यह खंड उपबंध करती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध संस्थान पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस अधिनियम की खंड 2 के खंड (ज) में परिभाषित लोक प्राधिकरण हो।

खंड 42—यह खंड केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियम बनाए, ताकि प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके; और उन विषयों का विवेचन करती है जिनके संबंध में ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं।

खंड 43—यह खंड केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बनाए, जो प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों के अनुरूप हों और उसके उपबंधों को प्रभावी बनाने में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा उपयुक्त प्रतीत हों। ऐसा कोई आदेश प्रस्तावित विधेयक के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात नहीं बनाया जाएगा; और प्रत्येक ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

खंड 44—यह खंड उपबंध करती है कि प्रस्तावित विधेयक के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और प्रथम विनियम, उनके बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे।

खंड 45—यह खंड केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह संस्थान को ऐसे निदेश दे, जो प्रस्तावित विधेयक के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक प्रतीत हों; और संस्थान उन निर्देशों का पालन करेगा।

खंड 46—यह खंड संक्रमणकालीन उपबंध करती है, जिसके अधीन वर्तमान संस्थान की परिषद और शैक्षणिक परिषद को क्रमशः प्रबन्ध मंडल और शैक्षणिक परिषद माना जाएगा, जब तक कि वे प्रस्तावित विधेयक के अधीन गठित न हो जाएं। वर्तमान संस्थान के विनियम और उपनियम तब तक लागू रहेंगे जब तक प्रथम विनियम बनाए नहीं जाते, बशर्ते कि वे प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों के प्रतिकूल न हों। वर्तमान संस्थान के निदेशक, विद्याध्ययन संकायाध्यक्ष और केंद्र-निदेशक तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि निदेशक, संकायाध्यक्ष और केंद्र-निदेशक प्रस्तावित विधेयक के अधीन नियुक्त न किए जाएं; और वर्तमान संस्थान के अधीन गठित समितियाँ भी यथावत बनी रहेंगी।

खंड 47—यह खंड भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 को निरस्त करने और व्यावृति करने का उपबंध करती है। निरसन से उस अधिनियम के अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबंध, अर्थात् उक्त अधिनियम की खंड 3, जिसके द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है, प्रभावित नहीं होगा और वह यथावत प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया कोई भी कार्य अथवा की गई कोई भी कार्रवाई, जब तक कि वह प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों के प्रतिकूल न हो, उसे उसके अनुरूप उपबंधों के अधीन किया गया या की गई मानी जाएगी। विशिष्ट विषयों का उल्लेख साधारण खंड अधिनियम, 1897 की खंड 6 के साधारण उपयोजन को, निरसन के प्रभाव के संबंध में, प्रभावित या हानि पहुँचाने वाला नहीं माना जाएगा।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 27 यह उपबंध करता है कि किसी संस्थान के उसके मुख्य रूप से कृत्यों को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए, केंद्रीय सरकार इस निमित्त संसद् द्वारा इस संबंध में विधि बना कर संस्थान को उचित धनराशि आवंटित करने के पश्चात् जो वह उचित समझे उचित राशि का भुगतान कर सकती है । विधेयक का खंड 29 यह उपबंध करता है कि संस्थान एक ऐसी निधि का रखरखाव करेगा जिसमें यह केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी धनराशियों को जमा किया जाएगा ।

2. विधेयक विद्यमान भारतीय सांख्यिकी संस्थान को निगमित करने की मांग करता है जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम 1959 के अधीन केंद्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है । संस्थान का व्यय विद्यमान संस्थान के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पहले से किए जा रहे बजटीय उपबंधों से ही पूरा किया जाता रहेगा ।

3. विधेयक, यदि अधिनियमित होता है, भारत की संचित निधि से चाहे वह आवर्ती या अनावर्ती कोई अतिरिक्त व्यय अंतरवर्लित नहीं करेंगे ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के खंड 37 का उपखंड (1) राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनियमित करने के लिए शासी निकायों को सशक्त करता है जो प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन असंगत नहीं होंगे । उक्त खंड के उपखंड (2) में ऐसे मामलों का उल्लेख है जिसके संबंध में ऐसे विनियम बनाए जा सकते है । इन मामलों में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित है—(क) धारा 2 के खंड (घ) के अधीन अन्य प्रयोजन; (ख) धारा 2 के खंड (ट) के अधीन ऐसे अन्य शैक्षणिक पद नाम ; (ग) धारा 2 के खंड (न) के अधीन सांख्यिकी विज्ञान के संबद्ध क्षेत्र और संबंधित विषय ; (घ) धारा 6 के खंड (ख) के अधीन विभिन्न अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का प्रवेश ; (ङ) धारा 6 के खंड (छ) के अधीन अवसंरचना और निवेश ; (च) धारा 9 के अधीन संस्थान के संकाय और कर्मचारिवृंद के नियुक्ति की रीति ; (छ) धारा 9 के खंड (क) के अधीन वह अधिकतम वेतनमान जो किसी काडर के गैर संकाय स्टॉफ को संदाय की जाने वाली ऐसी रकम से अधिक हो ; (ज) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन किसी भी विद्यमान केंद्र का रखरखाव, संशोधन, विलय, स्थानांतरण या समाप्ति करना; (झ) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (ii) के अधीन बोर्ड के सदस्य के रूप में केंद्र-निदेशक के नामांकन की रीति; (ञ) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (ङ) के उपखंड (iii) के अधीन बोर्ड में अकादमिक परिषद के दो सदस्यों के नामांकन की रीति; (ट) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड की बैठकें और काराबर के संचालन से संबंधित प्रक्रिया के नियम; (ठ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन बोर्ड के किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति को भरने की रीति; (ड) धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते; (ढ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन विद्यमान शाखाओं, उत्कृष्टता केंद्रों और बाहरी इकाइयों की स्थापना, उपांतरण, विलय, स्थानांतरण या समाप्ति करना; (ण) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन मानद उपाधियाँ, पुरस्कार और अन्य उपाधियाँ प्रदान करना; (त) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अधीन कर्मचारियों की अहर्ता, वर्गीकरण, कार्यकाल और नियुक्ति की पद्धति ; (थ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन कर्मचारियों की संख्या, पारिश्रमिक, कर्तव्य और सेवा शर्तें; (द) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ठ) के अधीन कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन, बीमा और भविष्य निधि का गठन; (ध) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ढ) के अधीन संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के लिए शुल्क; (न) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन फेलोशिप, छात्रवृत्ति पदक, पुरस्कार और प्रदर्शनियों का आयोजन; (प) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (त) के अधीन बुनियादी ढांचे का निर्माण और भवनों का रखरखाव; (फ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (थ) के अधीन संस्थान के छात्रों के निवास की शर्तें और छात्रावासों और हॉस्टलों में निवास के लिए शुल्क तथा अन्य शुल्कों का निर्धारण; (ब) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (द) के अधीन बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों के अधिप्रमाणन की रीति; (भ) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (ध) के अधीन बोर्ड, अकादमिक परिषद् या किसी समिति की बैठकों के लिए कोरम तथा उनके कारबार के संचालन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं; (म) धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (प) के अधीन संस्थान की अकादमिक और रणनीतिक आवश्यकताओं के अनुसार किसी विभाग का पुनर्गठन, नामकरण, पुनर्नामकरण, विलय या समाप्ति तथा किसी नए विभाग का सृजन; (य) धारा 20 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रबंधन परिषद् के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की रीति; (यक) धारा 21 की

उपधारा (3) के अधीन वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य; (यख) धारा 22 की उपधारा (8) के अधीन कार्यवाहक निदेशक की नियुक्ति की रीति; (यग) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड द्वारा डीन की नियुक्ति, कार्यकाल और पोर्टफोलियो की रीति ; (यघ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार की नियुक्ति की रीति और सेवा के नियम एवं शर्तें; (यङ) धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन उप रजिस्ट्रारों की नियुक्ति की रीति और सेवा के नियम एवं शर्तें; (यच) धारा 26 के अधीन समितियों के गठन, संरचना, कर्तव्यों और कृत्यों की रीति ; (यछ) धारा 28 के अधीन राजस्व उत्पन्न करने के साधन; (यज) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन निधि में जमा धन के निवेश की रीति ; (यझ) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन निधि के व्यय का अन्य प्रयोजन; (यञ) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड को संस्थान की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मूल्यांकन के मापदंड और समयसीमा; (यट) धारा 36 की उपधारा (5) के अधीन स्वतंत्र अभिकरण या विशेषज्ञों के समूह की अर्हता, अनुभव और उनको चुनने की रीति ; और (यठ) धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन विद्यमान संस्थान के अधीन बनी समितियों के कृत्य करने की रीति और उनका आज्ञापक पुर्नविलोकन । उक्त खंड का उप-खंड (3) यह उपबंध करता है कि संस्थान के पहले विनियम केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से बोर्ड द्वारा बनाए जाएंगे।

2. विधेयक का खंड 42 केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को लागू करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बनाने का अधिकार देता है, जिसमें ये उपबंध शामिल हैं: (i) धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन बोर्ड में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामित करने की रीति ; (ii) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन निदेशक की नियुक्ति और सेवा की शर्तें और धारा 22 की उपधारा (6) के अधीन निदेशक को हटाने की रीति ; (iii) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन केंद्र-निदेशकों की नियुक्ति की रीति, धारा 23 की उपधारा (5) के अधीन केंद्र-निदेशक द्वारा प्रबंधन परिषद को केंद्र की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट सौंपने की समय-सीमा और धारा 23 की उपधारा (6) के अधीन केंद्र-निदेशकों को हटाने की रीति; (iv) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट जमा करने की समय-सीमा; और (v) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार को वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट की एक प्रति भेजने की समय-सीमा।

3. विधेयक का खंड 44 यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और पहले विनियमों को, उनके बनने के बाद यथासंभव शीध्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाए।

4. जिन विषयों के संबंध में नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, वे प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक विवरण से संबंधित हैं और स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है। अत:, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।